

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, भोपाल-462004  
e-mail- [affil-he@mp.gov.in](mailto:affil-he@mp.gov.in) दूरभाष क्रमांक- 2554763

"website"

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 09/10/2020.

क्रमांक- 1812/378/आउशि/सम्बद्धता/20. :: प्रदेश के सत्र 2008-09 से पूर्व से संचालित अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन महाविद्यालय शुल्क के स्थान पर संस्था एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा के संयुक्त नाम से संयुक्त एफ.डी.आर. प्रस्तुत करने का प्रावधान था, मूल संयुक्त एफ.डी.आर. संबंधित संस्था में रक्षित होती है, जिसकी समयावधि पूर्ण होने पर इस कार्यालय द्वारा नवीनीकरण करने की स्वीकृति समय समय पर जारी की जाती थी।

2. प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के संचालन संबंधी जारी मार्गदर्शिका में सत्र 2020-21 से समिति/संस्थाओं की संयुक्त एफ.डी.आर. को लियन से मुक्त कर वापस किये जाने का प्रावधान किया गया है।

3. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से संबद्ध वर्तमान में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों के लिये बैंक में संधारित निम्नांकित संयुक्त एफ.डी.आर. को आयुक्त उच्च शिक्षा के लियन से मुक्त किया जाता है :-

क्र	समिति का नाम	महावि./संस्था का नाम	बैंक तथा शाखा का नाम	एफ.डी.आर. क्रमांक/दिनांक एवं मूल राशि
1	2	3	4	5
1	श्री गुरु गोविन्द सिंह ट्राई सेंटेनरी एजुकेशन सोसायटी, उज्जैन	महाराजा कॉलेज, उज्जैन	पंजाब नेशनल बैंक, कंठाल शाखा, उज्जैन	खाता क्र. 045900 ग्राहक आई.डी. 400242478 खाता क्र. 0459003107368011 दि. 03/12/2016 ( 01/08/2014) रुपये 06,03,992/- (रु. छः लाख तीन हजार नौ सौ बानवे मात्र)
2	उज्जयनी सोमनाथ कृपा शिक्षण समिति, उज्जैन	एडवांस कॉलेज, उज्जैन	आई.सी.आई. सी.आई. बैंक, इन्दौर/उज्जैन	सी.आई.एफ. आई.डी. 502292353 (खाता क्र. 004114151219) दि. 28/04/2011 रुपये 04,08,510/- (रु. चार लाख आठ हजार पांच सौ दस मात्र)

संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक कृपया उक्त संयुक्त एफ.डी.आर. की मूल तथा ब्याज सहित पूर्ण राशि समिति/न्यास/महाविद्यालय के बैंक खाते में स्थानांतरित कर भुगतान करने का कष्ट करें।

'आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित'

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

क्रमांक- 1813/378/आउशि/संबद्धता/20  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक- 09/10/2020.

- 1- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उज्जैन संभाग, उज्जैन (म0प्र0)।
- 2- कुल सचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म0प्र0)।
- 3- शाखा प्रबंधक, कॉलम 4 में अंकित बैंक/शाखा।
- 4- प्राचार्य, संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 5- अध्यक्ष/सचिव, कॉलम 2 में अंकित समिति/न्यास मध्यप्रदेश-कृपया उपरोक्तानुसार मूल एफ.डी.आर. भुगतान हेतु संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करें।
- 6- प्राचार्य, कॉलम 2 में अंकित संबंधित अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 7- वि.क.अ., आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।  
—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा म.प्र.